न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – राजेश कुमार मीणा, आरजेएस

(सेशन न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदार निगरानी प्रकरण संख्या – 123/2025

1- सुनील रांका पिता रामप्रसाद रांका, निवासी नवकार बुक डिपो सिन्धुनगर, भीलवाडा, राजस्थान

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1- मोहम्मद आरिफ पिता अब्दुल कय्युम नागौर, निवासी नाईयों की गली के सामने लौहार मोहल्ला चित्तौडगढ, राजस्थान
2- राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक चित्तौडगढ

..... गैर-निगरानीकर्ता

दाण्डिक रिवीजन विरूद्ध आदेश विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, **एन.आई. एक्ट प्रकरण, चित्तौडगढ द्वारा नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 1778/2018 मोहम्मद आरीफ बनाम सुनिल रांका में दिनांक 01–11–2025 को पारित किया गया ।**

उपस्थितः–

1– श्री विवेक सोमानी, अधिवक्ता– निगरानीकार की ओर से ।

2– श्री अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से ।

3– श्री आरीफ खां, अधिवक्ता प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 07–07–2026

1– निगरानीकार की ओर से विचारण न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण, चित्तौडगढ द्वारा नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 1778/2018 मोहम्मद आरीफ बनाम सुनिल रांका में दिनांक 01–11–2025 को पारित आदेश में प्रार्थी/निगरानीकार के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी न्यायालय माननीय सेशन, न्यायाधीश, चित्तौडगढ के यहां प्रस्तुत हुई, जो विधि अनुसार कालान्तर में अन्तरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 17–11–2025 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई ।

2– निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत चैक अनादरण ज्ञापन (Return Memo) एवं परिवाद में अंकित कारणों में अंतर है। बैंक द्वारा जारी रिटर्न मेमो में"Drawee's Signature Incomplete/Differs/Required" अंकित है जबकि परिवाद में अन्य शब्दावली प्रयुक्त की गई है।

3- यह भी कहा गया कि उक्त रिटर्न मेमो पर हस्ताक्षर करने वाले बैंक प्रबंधक का साक्ष्य विवाद के न्यायोचित निर्णय हेतु आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण गवाह को तलब नहीं कर मनमाने ढंग से आवेदन निरस्त कर दिया।

4- यह भी तर्क दिया गया कि आवेदन पर पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने दोराने बहस कथन किया कि प्रकरण में निगरानीकार विचारण न्यायालय में लंबित प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत ही विधिनुसार आदेश पारित किया है। निगरानीकार की निगरानी बिना किसी आधार के पेश की गयी हैं जो खारिज किये जाने योग्य है।

5- धारा 348 BNSS (पूर्व धारा 311 Cr.P.C.) का विधिक उद्देश्य धारा 348 BNSS न्यायालय को किसी गवाह को बुलाने अथवा पुनः बुलाने का अधिकार प्रदान करती है, किन्तु यह अधिकार असीमित नहीं है। इस प्रावधान का उद्देश्य किसी पक्ष को अपने मामले की कमजोरी दूर करने अथवा विचारण में विलम्ब उत्पन्न करने का अवसर देना नहीं है।

6- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Rajaram Prasad Yadav v. State of Bihar, (2013) 14 SCC 461 में स्पष्ट किया है कि न्यायालय तभी गवाह तलब करेगा जब उसका साक्ष्य "न्यायोचित निर्णय के लिये अपरिहार्य (Essential for the just decision of the case)" हो।

V. N. Patil vs K. Niranjan Kumar - 2021 Supreme(SC) 126 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को उल्लेखित किया है जो इस प्रकार है :- 17. This principle has been further reiterated in Mannan Shaikh and Others vs. State of West Bengal and Another, 2014 (13) SCC 59 and thereafter in Ratanlal vs. Prahlad Jat and Others, 2017 (9) SCC 340 and Swapan Kumar Chatterjee vs. Central Bureau of Investigation, 2019 (14) SCC 328. The relevant Paras of Swapan Kumar Chatterjee (supra) are as under:

"10. The first part of this section which is permissive gives purely discretionary authority to the criminal court and enables it at any stage of inquiry, trial or other proceedings under the Code to act in one of the three ways, namely: (i) to summon any person as a witness; or (ii) to examine any person in attendance, though not summoned as a witness; or (iii) to recall and reexamine any person already examined. The second part, which is mandatory, imposes an obligation on the court (i) to

summon and examine or (ii) to recall and reexamine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case.
11. It is well settled that the power conferred under Section 311 should be invoked by the court only to meet the ends of justice. The power is to be exercised only for strong and valid reasons and it should be exercised with great caution and circumspection. The court has vide power under this section to even recall witnesses for reexamination or further examination, necessary in the interest of justice, but the same has to be exercised after taking into consideration the facts and circumstances of each case. The power under this provision shall not be exercised if the court is of the view that the application has been filed as an abuse of the process of law."

7- वर्तमान प्रकरण में अभिलेख से स्पष्ट है कि परिवादी अपना सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका था एवं पत्रावली बहस अंतिम की स्टेज पर है। उसके पश्चात अभियुक्त द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रस्तावित बैंक अधिकारी किस तथ्य को सिद्ध करेगा जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो सकता। केवल यह कहना कि रिटर्न मेमो पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को बुलाया जाये, धारा 348 BNSS के अन्तर्गत पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।
8- धारा 146 परक्राम्य लिखत अधिनियम इस प्रकार हैः- Bank's slip prima facie evidence of certain facts.—The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of Bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and until such fact is disproved.
9- परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 146 स्पष्ट रूप से उपबन्धित करती है कि बैंक द्वारा जारी Return Memo स्वयं चैक के अनादरण का प्रथमदृष्टया प्रमाण है। अर्थात बैंक अधिकारी का प्रत्येक मामले में न्यायालय में उपस्थित होकर रिटर्न मेमो सिद्ध करना विधि की अपेक्षा नहीं है। जब तक Return Memo की सत्यता पर कोई ठोस आधार प्रस्तुत न किया जाये, मात्र हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को बुलाना आवश्यक नहीं माना जा सकता। निगरानीकर्ता द्वारा जिस कथित विरोधाभास का उल्लेख किया गया है, वह विचारण के दौरान उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है। यह विरोधाभास ऐसा नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि बैंक अधिकारी का मौखिक साक्ष्य न्यायोचित निर्णय के लिये अपरिहार्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर आवेदन अस्वीकार किया है, यह निष्कर्ष न तो विधि विरुद्ध है और न ही मनमाना।

10- निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी की बहस नहीं सुनी गयी एवं पत्रावली निर्णय में नियत कर दी गयी। न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नही है कि पक्षकारों को बिना सुने प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया हो ।

11- पुनरीक्षण (Revision) की सीमित परिधि- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने AMIT KAPOOR vs RAMESH CHANDER - 2012 Supreme(SC) 617 में प्रतिपादित किया है:- 12. The jurisdiction of the Court under Section 397 can be exercised so as to examine the correctness, legality or proprietary of an order passed by the trial court or the inferior court, as the case may be. Though the section does not specifically use the expression 'prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the ends of justice', the jurisdiction under Section 397 is a very limited one. The legality, proprietary or correctness of an order passed by a court is the very foundation of exercise of jurisdiction under Section 397 but ultimately it also requires justice to be done. The jurisdiction could be exercised where there is palpable error, non–compliance with the provisions of law, the decision is completely erroneous or where the judicial discretion is exercised arbitrarily.

12- पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं है, पुनरीक्षण में हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिकार क्षेत्र से परे हो, प्रत्यक्षतः अवैध हो, गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से ग्रस्त हो, अथवा न्याय के विफल होने की स्थिति उत्पन्न करता हो। विचारण न्यायालय ने आवेदन पर विचार करते हुए स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण अंकित किये हैं।आदेश में न तो कोई विधिक त्रुटि है, न अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है तथा न ही कोई ऐसी भौतिक अनियमितता है जिससे पुनरीक्षणीय हस्तक्षेप आवश्यक हो।

13- यह न्यायालय भी इस निष्कर्ष से सहमत है कि प्रस्तावित बैंक अधिकारी का साक्ष्य न्यायोचित निर्णय के लिये आवश्यक अथवा अपरिहार्य नहीं है तथा आवेदन का उद्देश्य विचारण में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न करना प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायसंगत है।

आदेश

14- फलस्वरूप, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निराधार एवं गुण-दोष रहित होने से की खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2025 यथावत् रखा जाता है।

(राजेश कुमार मीणा)

15– आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 07–07–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)